



कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मा.संसा. एवं प्रशा.)

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC14882

प्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/चिकि./2727 जबलपुर, दि. 9 JUL 2016

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के आदेश क्रमांक 01-01/IV/5811/457 जबलपुर दिनांक 22.05.2003 को म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. के पत्र क्रमांक AS/MPPGCL/Medical/1907 दिनांक 29.05.2007 द्वारा माह्य आदेश में उल्लेखित कंपनी के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के जांच/उपचार में हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्न प्रावधान है:-

(01) माह्य राशि का 75 प्रतिशत जबकि राज्य अंदर अथवा बाहर कम्पनी द्वारा चिन्हित प्रायवेट चिकित्सालयों में शासकीय मेडिकल कालेज के विभाग प्रमुख/विशेषज्ञ द्वारा रेफर किया गया हो।

(02) माह्य राशि का 50 प्रतिशत:-

(अ) गैर चिन्हित चिकित्सालय में चिकित्सा करने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी /वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त, शासकीय मेडिकल कालेज के विभाग प्रमुख/विशेषज्ञ द्वारा रेफर किया गया हो।

(ब) चिन्हित चिकित्सालय में चिकित्सा कराने पर, जबकि समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से अनुमति/रेफर न कराया हो।

उक्त आदेश के तारतम्य में अब कंपनी के कार्मिकों, (जो कि ताप/जल विद्युत गृहों, जबलपुर मुख्यालय एवं प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर पदस्थ हैं) एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों आकस्मिकता की स्थिति में बिना अनुमति, गैरचिन्हित चिकित्सालयों में उपचार कराने पर अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटों के अंदर संबंधित कार्मिकों या उसके परिवार के सदस्य/सहकर्मी द्वारा कार्मिक के नियंत्रण अधिकारी को पत्र या ई-मेल द्वारा लिखित में सूचना प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे प्रकरणों में उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत माह्य राशि के 50 प्रतिशत तक की जा सकेगी। इन प्रकरणों में कंपनी के प्रबंध संचालक को अनुमोदन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त प्रावधान आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेशानुसार,

(अजय कुमार नेमा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर

पृ.क्र. का.नि. (मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/चिकि./2728

जबलपुर, दि. 9 JUL 2016

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
- 2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।

- 3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
- 4- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर ।
- 5- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल ।
- 6- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
- 7- मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
- 8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 9- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर ।
- 10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
- 11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
- 12- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 13- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर-दो/तीन/चार, मझीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौद/झिन्ना, ।
- 14- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संघा.वृत्त), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 15- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 16- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
- 17- निज सचिव/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक तकनीकी/वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।

(पी.के. श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव-दो
कार्या.कार्य.निदे. (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर

D:ARNG UNIMedi\Order